



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 9/2026

पंकज कुमार मिश्रा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ
एवं 17 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अनूप वाजपेई, अतुल कुमार यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 25

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप वाजपेयी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

जनहित याचिका के रूप में यह रिट याचिका, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को यह निर्देश जारी करने की मांग के साथ दायर की गई है कि वे प्रतिवादी संख्या 6 से 18 द्वारा, ग्राम पंचायत- करावन, परगना- आलम नगर, ब्लॉक टोडरपुर, तहसील- शाहबाद, जिला- हरदोई में स्थित गाटा संख्या 543, क्षेत्रफल 0.0380 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, और राजस्व अभिलेखों में पंचायत भवन के रूप में दर्ज गाटा संख्या 544, क्षेत्रफल 0.1010 हेक्टेयर पर किये गए अवैध अतिक्रमण को हटा दें।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तहसीलदार- शाहबाद, जिला- हरदोई द्वारा दिनांक 18.01.2026 को जारी किए गए निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों, जिन्हें इस याचिका में प्रतिवादी संख्या 6 से 18 के रूप में सम्मिलित किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है, और मामले की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सुनवाई दिनांक 20.01.2026 को नियत की गई है। उक्त निर्देश अभिलेख पर ग्रहण किये गए हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, इस रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है क्योंकि इस स्तर पर अन्य कोई निर्देश अपेक्षित नहीं है, क्योंकि राजस्व अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पहले ही प्रारंभ कर दी है। हालांकि, यह आशा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही, विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत पूर्ण की जाएगी।

21 जनवरी, 2026

आशीष देवल

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय)